शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डोईवाला (देहरादून), उत्तराखण्ड

विवरणिका एवं आवेदन-पत्र 2019-2020

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डोईवाला (देहरादून), उत्तराखण्ड
(स्थापना वर्ष-2001)

विजन–
राष्ट्र निर्माण हेतु पूर्णतया समर्पित शिक्षित युवा समुदाय की रचना के लिए समुचित शैक्षणिक वातावरण सृजित करना। मूल्यगत एवं आधुनिक पठन-पाठन विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास कर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना।

प्रवेश आवेदन-पत्र सहित मूल्य ₹ 20/-

E-mail: degreecollegedoiwala@gmail.com

शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2019–2020

1.	प्रवेश फॉर्म वितरण तिथि	20-06-2019
2.	शैक्षिक सत्र प्रारम्भ	01-07-2019
3	स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रवेश फॉर्म जमा करने की अन्तिम तिथि	07-07-2019
4.	स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आरम्भ की तिथि	16-07-2019
5.	अन्य कक्षाओं के लिए प्रवेश आरम्भ तिथि	परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एवं 20 दिनों के अन्दर
6.	प्रवेश की अन्तिम तिथि (अन्य कक्षाओं के लिए) स्नातक तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, एम.ए. प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	14-08-2019 अथवा वि.वि. द्वारा परीक्षाफल घोषित होने के बाद एवं 20 दिनों के अन्दर
7.	ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि	वि.वि. के निर्देशानुसार

परीक्षा फार्म भरने जमा करने की एवं परीक्षा प्रारम्भ की तिथियाँ वि.वि. द्वारा घोषित ही मान्य होगी।

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

राजकीय महाविद्यालय डोईवाला की स्थापना शासनादेश संख्या 2771/मा.स.वि./2001 दिनांक 10 अगस्त 2001 से हुई इसके उपरान्त स्नातक कला संकाय के आठ विषयों के साथ इस महाविद्यालय का शुभारम्भ हुआ। सर्वप्रथम महाविद्यालय का संचालन प्राथमिक विद्यालय लच्छीवाला, डोईवाला, में किया गया। वर्तमान में यह महाविद्यालय देहरादून से लगभग 20 किमी. की दूरी पर सौंग नदी (डोईवाला) के पुल के समीप भानियावाला में स्थित है। प्रारम्भ में स्नातक स्तर पर उत्तराखण्ड शासन की पत्रांक संख्या 3011/जी.एस. शिक्षा सम्बद्धता 2007 देहरादून दिनांक 27 फरवरी 2008 के पत्र द्वारा महाविद्यालय के स्नातक कला संकाय स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान में स्थाई सम्बद्धता हेमवती नन्दन बहुगुणा श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से दिनांक 01 जुलाई 2008 में प्रदान की गयी।

उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा विभाग पत्रांक संख्या 67/प्रसचिशि उ.शि.आ./2007 दिनांक 15 नवम्बर 2007 के माध्यम से बी.एस-सी., बी.कॉम, बी.ए. चित्रकला,गृहविज्ञान एवं संस्कृत की अस्थाई सम्बद्धता हेमवती नन्दन बहुगुणा श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से दिनांक 15 नवम्बर 2007 में प्रदान की गयी।

पत्रांक मान्यता/3362 दिनांक 22-03-12 हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर कला, हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिविज्ञान एवं भूगोल पाठ्यक्रम में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गयी। पत्रांक संख्या मान्यता/1593 दिनांक 10 सितम्बर 2014 के माध्यम से स्नातकोत्तर इतिहास एवं समाजशास्त्र में भी अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी। सत्र 2017-18 से श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एम.ए. मनोविज्ञान में भी अस्थाई मान्यता प्रदान की गई।

पत्रांक संख्या मान्यता/5340 दिनांक 5 नवम्बर 2015 के माध्यम से स्नातक सैन्य विज्ञान विषय की भी अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी। महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पत्रांक संख्या एफ-एन. 08-3220/2010 (CPP-I/C) दिनांक 5 मई 2011 के द्वारा यू.जी.सी. से सैक्शन 2 (एफ) 12 (बी) यू.जी.सी. एक्ट 1956 के अन्तर्गत आच्छादित है।

शासनादेश संख्या 2268 (I) XXIV (7) 23 (घो.)/2011 दिनांक 22 दिसम्बर 2011 द्वारा महाविद्यालय का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शहीद दुर्गा मल्ल जी के नाम पर शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर दिया गया।

प्रवेश एवं महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनायें सूचना पट्ट पर चस्पा की जायेगी। सभी प्रवेशार्थी/विद्यार्थी सूचना पट्ट का अवलोकन करते रहे।

श्रीदेव सुमन वि.वि. से सम्बद्ध छात्र/छात्राओं पर श्रीदेव सुमन वि.वि के नियम एवं हे.नं.ब.ग. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध छात्र/छात्राओं पर हे.नं.ब.ग. विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे। प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों सहित सम्बन्धित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा। यदि मुद्रण में कोई त्रुटि अथवा अनुच्छेद मुद्रित होने से रह गया हो तो सम्बन्धित वि.वि. की विवरिणका के अनुच्छेद मान्य होंगे।

प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं निर्देश

1. प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करते समय वांछित प्रमाण-पत्र
   (क) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ।
   (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग तथा अन्य लाभों हेतु प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ।
2. प्रवेश के समय वांछित प्रमाण-पत्र (महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश हेतु)
   (क) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक-तालिका एवं प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ।
   (ख) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
   (ग) आरक्षित वर्ग एवं अन्य लाभ हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति।
3. पासपोर्ट साइज के नवीनतम एवं रंगीन फोटो प्रवेश आवेदन-पत्र पर निर्धारित स्थानों पर लगाने होंगे।
4. व्यक्तिगत रूप से परीक्षा उत्तीण कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधान सभा सदस्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप से संलग्न करें।
5. आवेदन-पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जा सकेगा।
6. जो प्रवेशार्थी गत सत्र में महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हो, उसके लिए प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ केवल विगत परीक्षा की अंक-तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना तथा निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा करना पर्याप्त होगा।
7. जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें निर्धारित तिथि तक बैंक में पूर्ण शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रतीक्षा सूची से अन्य विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।
8. माननीय उच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक विषय में निर्धारित सीटों पर प्रवेश मेरिट के आधार पर देय होगा।
9. प्राचार्य को किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने तथा किसी भी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।
10. बी.ए. स्नातक एवं स्नोतकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में आवेदन हेतु 40 प्रतिशत, विज्ञान वर्ग में 45 प्रतिशत तथा वाणिज्य में 40 प्रतिशत अंक न्यूनतम अनिवार्य हैं। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा, केवल उत्तीर्ण को ही प्रवेश अनुमन्य होगा।
11. 39.99% को 40 प्रतिशत या 44.99% को 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

13. (क) उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्याः 1144/कार्मिक-2-2001-53 (1)/2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 के अनुसार—उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 14 प्रतिशत, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही दिया जायेगा। सक्षम अधिकारी से तात्पर्य जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी से है।

(ख) अधिसूचना स.-64/XXXVi (3)/2019/19/1/2019 दिनांक 7 मार्च 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा तथा इसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(क) महिलाएँ–30 प्रतिशत।

(ख) कार्यरत एवं केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित–05 प्रतिशत।

(ग) विकलांग व्यक्ति–03 प्रतिशत।

15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–02 प्रतिशत (जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा) विकलांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. उत्तराखण्ड क्षेत्र के निवासियों को प्रदेश में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत, जिले के जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त नवीनतम प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही प्रवेश में आरक्षण सुविधा अनुमन्य होगी।

17. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर 06 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 04 वर्ष ही अध्ययन करने की सुविधा होगी।

18. कानून द्वारा दण्डित छात्र/छात्राओं को प्रवेश दे पाना सम्भव नहीं होगा।

19. किसी भी प्रकार का कैजुअल एडमिशन नहीं दिया जायेगा।

20. प्रत्येक कक्षा में प्रवेश स्थानों की उपलब्धता के अनुसार योग्यता क्रम में होगा।

21. संस्थागत-छात्र उपाधि हेतु एक ही सत्र में अन्य किसी संस्था में प्रवेश नहीं लेगा।

22. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश देय नहीं होगा जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी कक्षा के दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

23. यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता न होते हुए प्रवेश प्राप्त कर लेता है अथवा उसके द्वारा संलग्न प्रमाण-पत्र/पत्रजात जाली पाये जाते हैं तो छानबीन करने पर अथवा सूचना प्राप्त होते ही उसका प्रवेश

निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

24. अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्षों तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है। तो ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है। दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात् प्रवेश नहीं मिलेगा। अन्तराल का शपथ-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

25. सभी प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु विषयों का चयन विवेकपूर्ण तरीके से करें। शुल्क जमा होने के पश्चात् विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

26. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं के पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिनियमों, सावधि अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा तथा वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। उक्त की अवहेलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

27. शासनादेश संख्याः 5228 (1) 15 (उ.शि.)–1/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति देना अनिवार्य है जिसे पूरी किये बिना कोई भी परीक्षार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता।

28. उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अपना पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

29. भारत सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय संस्थान (NIOS) से उत्तीर्ण छात्र भी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। अन्य मुक्त विद्यालयों के नहीं।

30. प्रवेश निरस्त होने पर कोई भी शुल्क वापिस नहीं होगा।

31. महाविद्यालय के वरिष्ठ छात्रों को यू.जी.सी. के website पर antiragging हेतु पंजीकरण करवाना होगा एवं उसकी हार्ड कॉपी प्रवेश के समय जमा करनी होगी।

32. महाविद्यालय में शासन द्वारा छात्र-छात्राओं के लिये यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है।

33. महाविद्यालय विवरणिका में कोई भी मुद्रण त्रुटि होती है तो अन्तिम निर्णय महाविद्यालय प्रशासन का होगा।

34. **कला संकाय में प्रवेश हेतुः–**

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी को बी.ए. प्रथम वर्ष में निम्नलिखित में से तीन विषयों का चयन करना होगा। इन तीन विषयों के अतिरिक्त पर्यावरण विषय प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है—

1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. समाजशास्त्र, 4. राजनीतिशास्त्र, 5. अर्थशास्त्र, 6. चित्रकला, 7. मनोविज्ञान, 8. संस्कृत, 9. भूगोल, 10. इतिहास, 11. गृहविज्ञान, 12. सैन्य विज्ञान।

(ख) स्नातक प्रथम वर्ष कला वर्ग में प्रवेश हेतु इन्टरमीडिएट (10+2)–

किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें जिन्होंने 6 विषयों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। हेतु (शारीरिक शिक्षा/कम्प्यूटर विषय के अंकों की गणना न करते हुए) पाँच विषयों में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूचकांक का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) भूगोल विषय उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टर परीक्षा भूगोल के साथ या विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण की है।

(घ) स्नातक (बी.ए.) स्तर पर केवल वही विद्यार्थी चित्रकला विषय का चयन कर सकता है, जिसने अर्हकारी परीक्षा में चित्रकला अध्ययन किया हो।

(ङ) कोई भी अभ्यर्थी मात्र दो प्रायोगिक विषयों का ही चयन कर सकता है।

(च) गृहविज्ञान विषय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गृहविज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।

(छ) विज्ञान विषयों के साथ भूगोल विषय अनुमन्य नहीं होगा।

(ज) कला संकाय में स्नातक (बी.ए.) स्तर पर प्रायोगिक विषयों का अध्ययन करने के इच्छुक छात्र/छात्रा अधिकतम दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकते हैं। परन्तु निम्न विषय समूह वर्जित होंगे।

(i) मनोविज्ञान के साथ संस्कृत
(ii) चित्रकला के साथ अर्थशास्त्र
(iii) इतिहास के साथ भूगोल
(iv) चित्रकला के साथ भूगोल
(v) चित्रकला के साथ सैन्य विज्ञान
(vi) चित्रकला के साथ संस्कृत
(vii) चित्रकला के साथ गृह विज्ञान

35. वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतुः–

बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष, परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। परन्तु प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध सीटों पर किये जायेंगे। जिन प्रवेशार्थियों का इण्टरमीडिएट में वाणिज्य विषय नहीं रहा है परन्तु अर्थशास्त्र विषय रहा हो उनको भी वाणिज्य संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है। उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा उल्लिखित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही उन्हें बी.कॉम की उपाधि प्रदान की जायेगी।

36. विज्ञान संकाय में प्रवेश हेतुः–

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में प्रवेश की सुविधा है–रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित।

बी.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर में मेरिट के आधार पर उन्हीं छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान के छात्र रहे हों। इण्टर कृषि के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

PCM गणित वर्ग में वरीयता का निर्धारण इण्टरमीडिए में गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

ZBC बायो ग्रुप में वरीयता का निर्धारण इण्टरमीडिएट में बायोलॉजी, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

37. बी.एस-सी. (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश के लिये योग्यता क्रम निर्धारण हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। परन्तु प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध सीटों पर ही किये जायेंगे।

38. एम.ए. में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.ए. परीक्षा 40 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

बी.एस-सी./बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा एम.ए. प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर अन्य विषय में प्रवेश ले सकते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है–

1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. अर्थशास्त्र 4. भूगोल 5. राजनीतिशास्त्र 6. समाजशास्त्र 7. इतिहास 8. मनोविज्ञान

39. महाविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षणेत्तर क्रिया-कलाप एवं प्रकोष्ठ उपलब्ध हैं–

(i) शारीरिक शिक्षा
(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना
(iii) रोवर्स रेंजर्स
(iv) NCC
(v) विभागीय परिषद्
(vi) सांस्कृतिक परिषद्
(vii) महाविद्यालय पत्रिका
(viii) महाविद्यालय कैरियर काउंसिलिंग
(ix) एडुसेट
(x) SC/ST सेल
(xi) महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ
(xii) आपदा प्रबन्ध कमेटी
(xiii) धूम्रपान निषेध प्रकोष्ठ
(xiv) पूर्व छात्र संगठन
(xv) P.T.A.
(xvi) अनुसूचित जाति उपयोजना प्रकोष्ठ,
(xvii) छात्र संघ

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त जानकारियाँ सम्बन्धित संयोजक द्वारा सूचना पट्ट पर लगायी जायेंगी।

40. परिचय-पत्र

महाविद्यालय में संस्था के प्रमाणित छात्र/छात्रा होने के लिये प्रत्येक छात्र-छात्रा को अपने पास परिचय-पत्र रखना अति आवश्यक होगा।

यदि अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय-पत्र दिखाने को कहता है और उस समय विद्यार्थी ने परिचय-पत्र नहीं दिखाया तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। अतः परिचय पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखें।

परिचय-पत्र खो जाने पर उसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दे तथा उनकी संस्तुति के आधार पर ही विद्यार्थी को शुल्क रसीद दिखाकर रु. 50/- जमा करने पर दूसरी प्रति निर्गत की जायेगी। अतः विद्यार्थी को शुल्क रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए।

41. छात्रवृत्ति

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जो छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती हैं–

अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी website, scholarship.govt.in पर आवेदन करना होगा। उपरोक्त छात्रवृत्तियाँ जाति प्रमाण-पत्र (तहसीलदार के प्रमाण-पत्र) तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र के आधार पर ही निर्गत की जायेगी।

असेवित छात्रवृत्ति—स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हो तथा उनके घर से निकटतम महाविद्यालय 10 किलोमीटर दूर हो और माता/पिता/अभिभावक की मासिक आय **रु. 600/-** प्रतिमाह से अधिक ना हो तथा जिन्होंने इंटर अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा आय का प्रमाण-पत्र जो उपजिलाधिकारी/तहसीलदार से कम अधिकारी का न हो इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे।

उक्त छात्रवृत्तियों के आवेदन-पत्र प्रवेश लेने तथा फीस जमा करने के उपरान्त एक माह के भीतर फीस रसीद दिखाकर कार्यालय से प्राप्त कर लें तथा एक सप्ताह के अन्दर जाति प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र (आय प्रमाण-पत्र छः माह की तिथि का हो) अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा कर दें।

अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) के लिए अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा जारी वेबसाइट www.momascholarship.gov.in पर लॉग इन कर ऑन लाईन आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र की प्रिन्ट कॉपी तथा वांछित प्रपत्रों की फोटो प्रति महाविद्यालय कार्यालय में भी अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

नोट—भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से समस्त प्रकार की केन्द्र पोषित छात्रवृत्तियों का भुगतान भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। अतः समस्त अर्ह छात्र-छात्राओं को अपने खाते सी.बी.एस. बैंकों में खोलने होंगे एवं खातों को आधार कार्ड से जोड़ना होगा।

42. महाविद्यालय पुस्तकालय

महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुला रहता है।

छात्र-छात्राओं को सुविधानुसार पुस्तक प्राप्त करने के लिये तिथियाँ निर्धारित की जाती हैं और उन्हीं दिनों में पुस्तकें वर्ष भर निर्गत की जाती हैं।

1. पुस्तकें प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को परिचय-पत्र दिखाने पर पुस्तकें एक निर्धारित अवधि हेतु जारी की जाती हैं।
2. पुस्तकों को सुरक्षित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाली की होती है। पुस्तक फटने, गन्दी होने अथवा नष्ट होने पर नई पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय पुस्तक की दशा की भली-भाँति जाँच कर लेनी चाहिए।
   पुस्तकों पर नाम व अन्य विवरण लिखना सर्वथा वर्जित है। यदि पुस्तकालय से पुस्तक खराब हालत में मिलती है तो इस आशय का प्रमाण-पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तक दिखाकर लेना चाहिए।
3. सभी पुस्तकों को विश्वविद्यालय की परीक्षा से पूर्व अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करते समय लौटाना अनिवार्य है।

43. अनुशासन एवं अनुशासक मण्डल

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासित व स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने का उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल संयोजक मुख्य शास्ता (Chief Proctor) होता है। जिसे सहयोग करने हेतु महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय-समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। अनुचित आचरण करने/नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और बल प्रयोग न करें। यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। महाविद्यालय परिसर की रिकार्डिंग सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा हर पल की होती रहती है।

मुख्य अपराधः—

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर प्रदर्शित करना।
2. महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।)
7. परिसर में किसी राजनीति या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार या प्रदर्शन करना।

8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण-पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना/मानने से इन्कार कर देना।
10. महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना दण्डनीय अपराध है, जो भी विद्यार्थी महाविद्यालय की सम्मति को क्षति पहुँचाता पाया जायेगा उस पर महाविद्यालय द्वारा अर्थ-दण्ड लगाया जाएगा।

निषेधः–

1. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन लगाना या हस्ताक्षर करना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में च्यूइंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय-पत्र माँगने पर इंकार करना।
7. जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा निलम्बित अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।
8. महाविद्यालय के मुख्य गेट से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क पर वाहन खड़ा करना वर्जित है।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियमः–

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय-पत्र का होना आवश्यक है। जिसे परिसर में कभी भी माँगा जा सकता है। परिचय-पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।
2. जिन छात्रों की गतिविधियाँ शास्ता मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है। उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा। ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जायेगा।
4. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

44. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के लिए रु. 5 शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

नोटः–इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन, संशोधन का पूरा अधिकार प्राचार्य को होगा। समय-समय पर नये शासनादेशों के प्राप्त होने पर भी तदनुसार संशोधन किये जायेंगे, एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के प्रवेश/परीक्षा नियम/निर्देश पूर्णतः महाविद्यालय में लागू रहेंगे।

वार्षिक शुल्क विवरण

		स्नातक	स्नातकोत्तर
कोषागार निधि		5.00	5.00
1.	प्रवेश शुल्क	240.00	240.00
2.	महंगाई शुल्क	20.00	20.00
3.	विकास शुल्क	6.00	6.00
4.	पुस्तकालय शुल्क	5.00	5.00
5.	पंखा शुल्क	240.00	240.00
6.	प्रयोगात्मक शुल्क		180.00
7.	शिक्षण शुल्क	5.00	5.00
8.	टी.सी. शुल्क		
महाविद्यालय छात्रनिधियाँ		15.00	15.00
1.	परिचय-पत्र शुल्क	240.00	240.00
2.	क्रीड़ा शुल्क	30.00	30.00
3.	वाचनालय शुल्क	50.00	50.00
4.	पत्रिका शुल्क	30.00	30.00
5.	छात्र संघ शुल्क	50.00	50.00
6.	विभागीय परिषद्	20.00	20.00
7.	छात्र सहायता	120.00	120.00
8.	विद्युत शुल्क	110.00	110.00
9.	प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	60.00	60.00
10.	रोवर्स रेन्जर्स	50.00	50.00
11.	कम्प्यूटर इन्टरनेट सुविधा	30.00	30.00
12.	जनरेटर सुविधा	60.00	60.00
13.	महाविद्यालय प्रांगण सौन्दर्यीकरण एवं विकास	60.00	60.00
14.	सांस्कृतिक परिषद् शुल्क	20.00	20.00
15.	कॉलेज डे	60.00	60.00
16.	विविध शुल्क (भवन, फर्नीचर, मरम्मत शुल्क)	10.00	10.00
17.	काउन्सलिंग सैल	20.00	20.00
18.	पी.टी.ए.	20.00	20.00
19.	पूर्व छात्र संगठन	80.00	80.00
20.	आन्तरिक परीक्षा शुल्क	50.00	50.00
21.	प्रसाधन		
22.	स्नातक प्रथम सेमेस्टर में एवं अन्य कक्षाओं में नवीन छात्रों का नामांकन शुल्क वि.वि. निर्धारित धनराशि		
23.	अन्य वि.वि. से स्नातक की परीक्षा पास करने के उपरान्त स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क	100.00	

नोटः–उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है। ऑन लाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

प्राध्यापकों की सूची

प्राचार्य–डॉ. एम.सी. नैनवाल

अर्थशास्त्र विभाग

1.	पद रिक्त		
2.	पद रिक्त		

राजनीति विज्ञान विभाग

3.	डॉ. राखी पंचोला	असि. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
4.	डॉ. अंजली वर्मा	असि. प्रोफेसर	

हिन्दी विभाग

5.	श्री डी.एन. तिवारी	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
6.	डॉ. दिनेश प्रताप सिंह	एसो. प्रोफेसर	

भूगोल

7.	डॉ. सन्तोष वर्मा	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
8.	डॉ. एस.एस. बलूड़ी	एसो. प्रोफेसर	

मनोविज्ञान विभाग

9.	डॉ. वन्दना गौड	असि. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
10.	डॉ. पूनम पांडे	असि. प्रोफेसर	
11.	डॉ. राकेश नौटियाल	संविदा शिक्षक	

इतिहास

12.	डॉ. गिरीश सेठी	असि. प्रोफेसर	
13.	श्री प्रमोद पन्त	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
14.	डॉ. नूरहसन	असि. प्रोफेसर	

समाजशास्त्र विभाग

15.	डॉ. रविन्द्र सिंह रावत	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
16.	डॉ. अफरोज़ इकबाल	एसो. प्रोफेसर	
17.	डॉ. अनिल भट्ट	असि. प्रोफेसर	

अंग्रेजी विभाग

18.	डॉ. पल्लवी मिश्रा	असि. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी

संस्कृत विभाग

19.	डॉ. पूनम पाठक	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी

गृह विज्ञान विभाग

20.	डॉ. प्रभा बिष्ट	असि. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी

ड्राइंग एवं पेंटिंग

21.	पद रिक्त		

		सैन्य विभाग	
22.	डॉ. नर्वदेश्वर शुक्ल	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
		रसायन विज्ञान	
23.	डॉ. एस.पी. सती	एसो प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
		जन्तु विज्ञान	
24.	डॉ. महाबीर सिंह रावत	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
		भौतिक विज्ञान	
25.	डॉ. नवीन कुमार नैथानी	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
		गणित विभाग	
26.	डॉ. दीपा शर्मा	असि. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
		वनस्पति विज्ञान विभाग	
27.	डॉ. सुनीति कुमार कुड़ियाल	असि. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
		वाणिज्य संकाय	
28.	डॉ. कंचन लता सिन्हा	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
29.	डॉ. राजमणि राम पटेल	एसो. प्रोफेसर	

नोटः—महाविद्यालय स्टाफ में परिवर्तन सूचना नोटिस बोर्ड के द्वारा दी जायेगी।

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

1. श्री महावीर सिंह रावत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
2. सुश्री स्नेहलता सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
3. श्री रामलाल अनुसेवक
4. श्रीमती प्राची बहुगुणा लिपिक
5. श्री गजे सिंह कण्डारी लिपिक
6. श्री जितेन्द्र सिंह नेगी लिपिक
7. श्री मंजीत सिंह लिपिक
8. श्री महेश कुमार प्रयोगशाला सहायक
9. श्री आतिफ कुरैशी प्रयोगशाला सहायक
10. श्री नवीन आर्य प्रयोगशाला सहायक
11. श्री रामेश्वर प्रसाद प्रयोगशाला सहायक
12. श्री सोमेश्वर विद्युतकार
13. श्री बृजमोहन अनुसेवक
14. श्री राजेश कुमार सफाईकार
15. श्री अशोक कुमार अनुसेवक
16. श्री दिनेश पैन्यूली अनुसेवक
17. श्रीमती ममता देवी अनुसेविका
18. श्री राकेश सिंह सफाईकार
19. श्री सुनील कुमार नेगी चौकीदार
20. श्रीमती शोभा देवी अनुसेविका
21. श्री संजय कुमार अनुसेवक

मिशन

1. जनपद देहरादून के ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों हेतु उच्च शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करना।
2. समय एवं बाजार की माँग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का सृजन करना जिससे विद्यार्थियों में रोजगार तथा स्वरोजगार प्राप्ति के प्रति जागरूकता बढ़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन की भावना पैदा हो।
3. ज्ञान-विज्ञान के विविधि अनुशासनों में अन्तरानुशासी शैक्षिक-गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा परिसर को शैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के जीवन्त केन्द्र के रूप में विकसित करना।
4. महाविद्यालय परिसर में अध्ययन, अध्यापन, शोध एवं अनुसन्धान का विकास करना तथा विद्यार्थियों को गुणवत्ता-परक शिक्षा प्रदान करना।
5. उच्च शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना तथा उनमें नेतृत्व क्षमता एवं आत्मविश्वास पैदा कर राज्य एवं राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना।
6. विद्यार्थियों में सम्यक्-निर्णय लेने तथा नेतृत्व करने के गुण विकसित करना ताकि वे देश के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान में अपना योगदान दे सकें।